



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2082942021033

ग्राम क्रमांक : 208294	ग्राम का नाम / परगना : लेडहा(केरामगारौर)	तहसील : नौगढ़	जनपद : चन्दौली	फसली वर्ष : 1428-1433	भाग : 1		
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 5-3-ड / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।

00044	बंजर / नि. ग्राम	1/2	0.7870	1428फ0- आदेश तहसीलदार नौगढ़ के आर0सी0 939 दिनांक 29.01.2021 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र सं0 37/सात-स040/2021 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में शासनदेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उप0अधि0 सं0 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उप0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं संजीव सिंह, जिलाधिकारी चन्दौली संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनदेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्गृहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्गृहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्राम सभा में सन्निहित हो जायेगी। ग्राम लेडहा, परगना केरामगारौर, तहसील नौगढ़ जनपद चन्दौली के आ0नं0 1/2 रकबा 0.787हे0, आ0नं0 2/2 रकबा 1.635हे0, आ0नं0 18/1 रकबा 2.854हे0 कुल 03 गाटा रकबा 5.276हे0 श्रेणी 5-3(ड.) बंजर सडक निर्माण के बदले में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु। ह0अ0 30.01.2021			
		2/2	1.6350				
		5/1	0.4740				
		2/3	1.8870				
		7/1	0.0380				
		9/2/1मि	0.0320				
		10/2	0.2810				
		11/2	2.1600				
		17	0.2840				
		18/1	2.9840				
		18/2	0.6960				
		20/1	1.0780				
		21/1	0.0890				
		23	0.1320				
		36	0.3410				
		32/2	0.0250				
		33/3	0.0250				
		38/4	0.0380				
		41	0.0160				
		36/5	0.1260				
		42	0.0250				
		43	0.0250				


 अधिशासी अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो०नि०वि०
 चन्दौली

1428फ0- संशोधित आदेश तहसीलदार नौगढ़ के आर0सी0 51 दिनांक 10.03.2021 के अनुपालन में कार्यालय

44 0.0380
45 3.7270
36/12 9.2810

जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र सं 37/सात-स04030/2021 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधि0 सं 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं 0-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं संजीव सिंह, जिलाधिकारी चन्दौली संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्गृहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्गृहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्राम सभा में सन्निहित हो जायेगी। ग्राम लेडहा, परगना केरामगौर, तहसील नौगढ़ जनपद चन्दौली के अ0नं0 1/2 रकबा 0.787है0 , अ0नं0 2/2 रकबा 1.635है0, अ0नं0 18/1 रकबा 2.854है0 कुल 03 गाटा रकबा 5.276है0 श्रेणी 5-3(ड.) बंजर निरस्त होकर वन विभाग को सड़क निर्माण के बदले में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु दर्ज की जाती है। ह0अ0 10.03.2021

2 0

₹ 0.00

26.2240

25

कुल गाटे- दो पाँच कुल क्षेत्रफल- दो छः दशमलव दो दो चार शून्य (हेक्टेयर) कुल भूराजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: SANDEEP KUMAR SINGH



सक्षम अधिकारी: SANDEEP KUMAR SINGH

तहसील: नौगढ़ जनपद: चन्दौली

दिनांक एवं समय: 10-03-2021 03:24:23

उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक हिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

(Signature)

अधिकासी अभियन्ता
परसाई खण्ड (प्र0प0) लो०नि०वि,
चन्दौली

जिलाधिकारी